उत्तर प्रदेश शासन

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या-9/2020/1042/78-1-2020-25/2012

लखनऊः दिनांकः 13 अगस्त, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-813/78-1-2020-25/2012 दिनांक 15 जुलाई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 अधिसूचित की गई है।

2- उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के बिन्दु 6.3 में व्यवस्था है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नीति अनुश्रवण एवं कार्यान्यवन समिति द्वारा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित अथवा पीआईयू द्वारा सन्दर्भित किन्हीं अन्य बिन्दुओं पर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा। समिति के चार्टर के अनुसार विभिन्न विभागों के सहयोग एवं समन्वय द्वारा इन्क्यूबेटर्स/इन्नोवेशन हब, सेक्टोरल फण्ड्स की स्थापना, विभिन्न आयोजनों के माध्यम से स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा तथा स्टार्ट-अप रैंकिंग फ्रेमवर्क के अन्तर्गत 3 शीर्ष राज्यों में स्थान अर्जित करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन से सम्बन्धित होगा।

3- नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में इन्क्यूबेटर्स के कार्य-प्रदर्शन के समय-समय पर मूल्यांकन के लिए, पीएमआईसी द्वारा प्रमुख कार्यप्रदर्शन संकेतकों पर भी अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। इन्क्यूबेटर्स के कार्य-प्रदर्शन का मूल्यांकन एक वाह्य संस्था द्वारा किया जायेगा और सीधे पीएमआईसी को रिपोर्ट किया जाएगा।

4- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, वित्त, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, वाणिज्य कर, ऊर्जा, परिवहन, ग्राम्य विकास, आवास एवं नगरीय विभाग तथा अन्य विभागों जैसाकि समय-समय पर पीएमआईसी के अध्यक्षत द्वारा निर्देशित किया जाता है, के प्रमुख सचिव इस समिति के सदस्य होंगे।

5- उक्त नीति में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के प्रभावी कार्यान्वयन से सम्बन्धित अथवा पीआईयू द्वारा सन्दर्भित किन्हीं अन्य बिन्दुओं पर आवश्यक निर्णय हेतु नीति अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति (पीएमआईसी) का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

---

1- यहशासनादेशइलेक्ट्रानिकलीजारीकियागयाहै, अत: इसपरहस्ताक्षरकीआवश्यकतानहीहै।

2- इसशासनादेशकीप्रमाणिकतावेबसाइटhttp://shasanadesh.up.nic.inसेसत्यापितकीजासकतीहै।

http://shasanadesh.up.nic.in

1	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
6	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
7	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
8	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
9	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
10	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
11	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
12	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
13	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं नगरीय विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
14	प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी	सदस्य सचिव

6- नीति अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 में उल्लिखित दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यहशासनादेशइलेक्ट्रानिकलीजारीकियागयाहै, अत: इसपरहस्ताक्षरकीआवश्यकतानहीहै।

2- इसशासनादेशकीप्रमाणिकतावेबसाइटhttp://shasanadesh.up.nic.inसेसत्यापितकीजासकतीहै।

संख्या-9/2020/1042(1)78-1-2020 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 समिति के समस्त माननीय सदस्यगण।

2 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3 अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।

4 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

5 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वह प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6 प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

7 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यहशासनादेशइलेक्ट्रानिकलीजारीकियागयाहै, अत: इसपरहस्ताक्षरकीआवश्यकतानहीहै।

2- इसशासनादेशकीप्रमाणिकतावेबसाइटhttp://shasanadesh.up.nic.inसेसत्यापितकीजासकतीहै।